ICD-17161
14.3.78

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 189] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 1976/आश्विन 13, 1898

No. 189] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 1976/ASVINA 13, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Economic Affairs)

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th October 1976

No. F. 4(6)-W&M/76.—Subscriptions for the issues of 6 per cent Loan 1993 (Second Issue) and 6 1/2 per cent Loan, 2002 will be received from the 16th October, 1976 in the form of cash. The issues will be closed without notice as soon as it appears that the total subscriptions amount approximately to Rs. 275 crores (Nominal) and in any case not later than the close of business on the 18th of October, 1976. Government reserve the right to retain subscriptions received up to 10 per cent in excess of the sum of Rs. 275 crores.

2. If the total subscriptions to the aforesaid loans exceed the sum of Rs. 302.50 crores (Normal), partial allotment will be made in respect of the loans on a proportionate basis. If partial allotment is made, the excess subscriptions will be refunded as soon as possible after allotment. No interest will be paid on the amounts so refunded.

3. 6 per cent Loan 1993 (Second Issue) issued at Rs. 99.25 per cent and redeemable at par on the 26th July, 1993.

(i) **Date of repayment.**—The Loan will be repaid at par on the 26th of July, 1993.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 99.25 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The loan will bear interest at the rate of 6 per cent. per annum from 16th October, 1976. Interest for the period 16th October, 1976 to 25th January, 1977 inclusive will be paid on 25th January, 1977 and thereafter payment of interest will be made half-yearly on 26th July and 25th January. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 6 and 7 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

4. 6 1/2 per cent Loan, 2002 issued at Rs. 100.00 per cent and redeemable at par on the 16th October, 2002.

(i) **Date of repayment**—The Loan will be repaid at par on the 16th of October, 2002.

(ii) **Issue Price.**—The issue price will be Rs. 100.00 for every Rs. 100.00 (Nominal) of the Loan applied for.

(iii) **Interest.**—The Loan will bear interest at the rate of 6 1/2 per cent per annum from 16th October, 1976. Interest will be paid half-yearly on the 16th April and 16th October. The interest paid will, subject to the provisions of paragraphs 6 and 7 below, be liable to tax under the Income-tax Act, 1961.

SUPPLEMENTARY PROVISIONS

5. **Place of payment of interest.**—Interest on the loans will be paid at the Public Debt Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay, Calcutta, Hyderabad, Jaipur, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna, at any Treasury or Sub-treasury elsewhere in India except the States of Jammu and Kashmir and Sikkim, and at the Central Government's Pay and Accounts Offices at Jammu and Srinagar.

6. Refunds of tax deducted at the time of payment of interest (at the rates prescribed by the annual Finance Acts) will be obtainable by holders of the loan who are not liable to tax or who are liable to tax at rates lower than the rate at which tax was deducted.

A holder who is not liable to tax or who is liable to tax at a rate lower than the prescribed rate, can obtain on application, a certificate from the Income-tax Officer of the district, authorising payment of interest to him without deduction of tax or with deduction of tax at such lower rate as may be applicable to the holder.

7. Interest on all the loans now issued together with interest on other previous Government securities and income from other approved investments will be exempt from income-tax subject to a limit of Rs. 3,000 per annum and subject to the other provisions of Section 80L of the Income-tax Act, 1961.

8. The value of investments in the loans now issued together with the value of other previous investments in Government securities and the other investments specified in Section 5 of the Wealth Tax Act will also be exempt from the Wealth Tax upto Rs. 1,50,000.

9. The securities will be issued in the form of—

(i) Stock, the applicants for which will be given Stock Certificates, or

(ii) Promissory Notes.

If no preference is stated by the applicants, the securities will be issued in the form of Promissory Notes.

10. **Applications for the loans.**—Applications for the loans must be for Rs. 100 or a multiple of that sum.

11. Applications will be received at—

(a) Offices of the Reserve Bank of India at Ahmedabad, Bangalore, Bombay (Fort and Byculla), Calcutta, Hyderabad, Kanpur, Madras, Nagpur, New Delhi and Patna; and

(b) Branches of the State Bank of India at all places in India except at (a) above.

12. Applications may be in the form attached hereto or in any other form which states clearly the amount and description of the securities required, the full name and address of the applicant and the office at which he desires the interest to be paid.

13. Applications should be accompanied by the necessary payment in the form of cash or cheque. Cheques tendered at the office of the Reserve Bank of India, the State Bank of India or its subsidiary banks should be drawn in favour of the bank concerned.

14. Brokerage will be paid at the rate of 6 paise per Rs. 100 (Nominal) to recognised banks and brokers on allotments made in respect of applications for the loans tendered by them and bearing their stamp.

The claim for payment of brokerage should be preferred at the paying offices within six months from the date of floatation of the loans.

FORM OF APPLICATION

I/We .....
[Full Name(s) in Block letters]
..... herewith tender *Cash Rs..... *Cheque for Rs..... and request that securities of 6 per cent Loan, 1993 (Second Issue) *6½ per cent, Loan 2002* of the nominal value of Rs..... .....may be issued to me/us in the form of Promissory Note(s)† Stock Certificate interest to be payable at .....

N.B.— The applicant should not write any-thing in this cage. The entries will be filled in by the Public Debt Office

	Initials	*Date*
Application No.....		
N.B. Stamp		
Cash received		
Cheque realised		
Credited to Special Current Account		
Examined.....		
Cash Applications Register posted		
Brokerage Register posted		
Indent No.		
Vcrip No		
Card No		
oucher passed on		

Signature .....
Name in full .....
.....
(Block letters)
.....
Address .....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Daated the Of October 1976

NOTE :—(1) Separate application should be made for each Loan and each form of scrip (Stock Certificate or Promissory Note) of the new Loan required.

(2) If the applicant's signature is by thumb mark, it should be, witnessed by two persons. The full names, occupations and addresses of the witnesses should be appended to their signatures.

(3) If the application is made in the name of a registered body, the undernoted documents, if not already registered at the Public Debt Office, should be enclosed with the investment application:—

(i) Certificate of Registration/Incorporation.

(ii) Memorandum and Articles of Association or certified copies of the Rules/and Regulations Bye-laws of the body/company.

(iii) Certified copy of resolution in favour of the person authorised to deal in Government securities on behalf of the body/company.

(4) Applicants desiring the issue of scrips in the form of Stock Certificates should also complete a Mandate Form (obtainable from Public Debt Office) for transmission of half-yearly interest to them.

*Delete what is not required.

†Promissory Notes will be issued in denominations of Rs.100, Rs. 200, Rs. 500, Rs.1,000, Rs.5,000, Rs.10 ,000, Rs.25,000, Rs.50,000 and Rs. 1,00,000.State here the particular denomination required.

By Order of the President,
K. N. ROW, Jt. Secy.

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अक्तूबर, 1976

सं० एफ० 4(6)—डब्ल्यू एंड एम/76.—6 प्रतिशत ऋण, 1993 (दूसरा निर्गम) और 6½ प्रतिशत ऋण, 2002 के लिए 16 अक्तूबर 1976 से नगदी में अभिदान स्वीकार किये जाएंगे । जैसे ही यह विदित होगा कि कुल अभिदान राशि अनुमानतः 275 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) तक पहुंच गयी है, बिना सूचना दिये, किन्तु किसी भी दशा में 18 अक्तूबर 1976 को कारोबार समाप्त होने से पूर्व इन निर्गमों को बंद कर दिया जाएगा । सरकार को 275 करोड़ रुपयों से अधिक प्राप्त 10 प्रतिशत तक के अभिदानों को रख लेने का अधिकार है ।

2. यदि उपर्युक्त ऋणों की कुल अभिदान राशि 302·50 करोड़ रुपयों (सांकेतिक) से अधिक हो तो इन ऋणों के संबंध में आंशिक आवंटन किया जाएगा । यदि आंशिक आवंटन किया जाता है तो आवंटन के बाद अतिरिक्त अभिदान राशि यथाशीघ्र लौटा दी जाएगी । इस प्रकार लौटायी गयी राशि पर कोई ब्याज अदा नहीं किया जाएगा ।

3. रु० 99·25 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 26 जुलाई 1993 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6 प्रतिशत ऋण, 1993 (दूसरा निर्गम)

(i) **वापसी अदायगी की तारीख**—ऋण 26 जुलाई 1993 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(ii) **निर्गम मूल्य**—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100.00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 99·25 होगा ।

(iii) **ब्याज**.—इस ऋण की ब्याज-दर 16 अक्तूबर 1976 से वार्षिक 6 प्रतिशत होगी । 16 अक्तूबर 1976 से 25 जनवरी 1977 तक की अवधि के लिए 25 जनवरी 1977 को ब्याज अदा किया जाएगा और उसके बाद प्रत्येक छमाही में 26 जुलाई और 25 जनवरी को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 6 और 7 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा ।

4. रु० 100·00 प्रतिशत की दर पर जारी किया जाने वाला और 16 अक्तूबर 2002 को सममूल्य पर प्रतिदेय 6½ प्रतिशत ऋण, 2002—

(i) **वापसी अदायगी की तारीख**—ऋण 16 अक्तूबर 2002 को सममूल्य पर वापस अदा किया जाएगा ।

(ii) **निर्गम मूल्य**.—आवेदित ऋण के प्रत्येक रु० 100·00 (सांकेतिक) का निर्गम मूल्य रु० 100·00 होगा ।

(iii) **ब्याज**.—इस ऋण की ब्याज-दर 16 अक्तूबर 1976 से वार्षिक 6½ प्रतिशत होगी । प्रत्येक छमाही में 16 अप्रैल और 16 अक्तूबर को ब्याज अदा किया जाएगा । इस प्रकार अदा किये गये ब्याज पर नीचे दिये हुए अनुच्छेद 6 और 7 के उपबंधों के अधीन आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर लगेगा ।

पूरक व्यवस्थाएं

5. **ब्याज अदा करने का स्थान.**—इन ऋणों पर भारतीय रिजर्व बैंक के अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई, कलकत्ता, हैदराबाद, जयपुर, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित लोक ऋण कार्यालयों, भारत में जम्मू व कश्मीर तथा सिक्किम राज्यों को छोड़कर अन्यत्र किसी राजकोष या उप राजकोष में और जम्मू तथा श्रीनगर में स्थित केन्द्रीय सरकार के वेतन और लेखा कार्यालियों में ब्याज अदा किया जाएगा ।

6. (वार्षिक वित्त अधिनियमों द्वारा निर्धारित दरों पर) ब्याज अदा किये जाते समय काटे गये कर की वापसी अदायगी उन ऋण-धारकों को प्राप्त होगी जो कर-पात्र नहीं हैं या जिन पर उन दरों पर लागू होता है जो काटे गये कर की दर से कम हों ।

जो धारक कर-पात्र नहीं है या निर्धारित दर से कम दर पर कर-पात्र है वह जिले के आयकर कर अधिकारी को आवेदन कर उनका एक ऐसा प्रमाण-पत्र प्राप्त कर सकता है जिसमें यह प्राधिकृत किया गया हो कि कर की कटौती किये बिना या धारक पर लागू होने वाली न्यूनतम दर पर कर की कटौती कर उसे ब्याज अदा किया जाए ।

7. अब जारी किये जानेवाली सभी ऋणों पर और इसके पहले की अन्य सरकारी प्रतिभूतियों पर मिलनेवाले ब्याज तथा अन्य अनुमोदित निवेशों से मिलनेवाली आय को वार्षिक 3,000 रुपयों की सीमा तक और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 80 ठ के अन्य उपबंधों के अधीन आय कर से छूट प्राप्त होगी ।

8. अब जारी किये जानेवाले ऋणों में किये जानेवाले निवेशों के मूल्य, इसके पहले सरकारी प्रतिभूतियों में किये गये अन्य निवेशों और संपत्ति कर अधिनियम की धारा 5 में निर्दिष्ट अन्य निवेशों के मूल्य को भी 1,50,000 रुपयों की सीमा तक संपत्ति कर से छूट प्राप्त होगी ।

9. प्रतिभूतियां निम्नलिखित रुप में जारी की जाएंगी ।

(i) स्टाक, इसके आवेदकों को स्टाक प्रमाणपत्र दिये जाएंगे, या

(ii) वचनपत्र ।

यदि आवेदक इनमें से किसी के पक्ष मे विशेष अभिरुचि का उल्लेख न करें तो वचनपत्रों के रुप में प्रतिभूतियां जारी की जाएंगी ।

10. **ऋणों के लिए आवेदन पत्र.**—ऋणों के लिए आवेदन पत्र रु० 100 या उसके गुणजों के लिए होने चाहिए ।

11. आवेदन पत्र निम्नलिखित कार्यालयों में स्वीकार किये जाएंगे :—

(क) अहमदाबाद, बंगलूर, बंबई (फोर्ट और भायखला), कलकत्ता, हैदराबाद, कानपुर, मद्रास, नागपुर, नयी दिल्ली और पटना में स्थित भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यालय; और

(ख) उपर्युक्त (क) को छोडकर भारत मे सभी स्थानों पर भारतीय स्टेट बैंक की शाखाएं ।

12. आवेदन पत्र इसके साथ संलग्न फ़ार्म मे या किसी ऐसे दूसरे फ़ार्म में होने चाहिए जिसमें अपेक्षित प्रतिभूतियों की राशि और विवरण, आवेदक के पूरे नाम और पता तथा उस कार्यालय का स्पष्ट उल्लेख हो जहां आवेदन ब्याज की अदायगी की अपेक्षा करता हो ।

13. आवेदन पत्रों के साथ आवश्यक राशि नकदी या चेक के रूप में प्रेषित की जानी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहायक बैंकों के कार्यालय में प्रस्तुत किये जाने वाले चेक संबंधित बैंक के नाम आहरित होने चाहिए।

14. स्वीकृत बैंकों और दलालों को उनके द्वारा प्रस्तुत और उनकी मोहरयुक्त ऋण-आवेदन-पत्रों पर किये गये आवंटनों पर प्रति रु० 100 (सांकेतिक) 6 पैसे की दर पर दलाली अदा की जाएगी। दलाली की अदायगी के लिए ऋण जारी किये जाने की तारीख से छः महीने के भीतर अदायगी कार्यालयों में दावा पेश किया जाना चाहिए।

आवेदन-फार्म

मैं/हम.... .... इसके साथ ...... रुपये
[पूरा (पूरे) नाम]
नकदी* में,........ .... .रुपयों के लिए चेक * प्रस्तुत करता हूं / करते हैं और यह अनुरोध करता हूं / करते हैं कि मुझे / हमें वचनपत्र (पत्रों)† के रूप में............रुपयों
स्टाक प्रमाणपत्र
के सांकेतिक मूल्य के 6 प्रतिशत ऋण, 1993 (दूसरा निर्गम)*/6½ प्रतिशत ऋण 2002* की प्रतिभूतियां जारी की जाएं और उनका ब्याज.......................,में देय हो।

विशेष टिप्पणी : इस खाने में आवेदक कुछ न लिखें। सारी प्रविष्टियां लोक ऋण कार्यालय द्वारा की जाएंगीं।

	छोटे हस्ताक्षर	दिनांक	
आवेदन पत्र सं०	....	.....	
'दलाली नहीं' मुहर	....	....	
प्राप्त नकदी	....		हस्ताक्षर.... .....
चेक वसूल हुआ	....		
विशेष चालू खाते में जमा किया गया	....		पूरा नाम...........
			....
जांच की गयी	....		पता ....
नकदी आवेदन-पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया गया	.... ..		....
दलाली रजिस्टर में दर्ज किया गया	....		....
मांग पत्र सं०	....		
प्रतिभूति सं०	....		
कार्ड सं०	....		
....को वाउचर			
पारित किया गया	....		

दिनांक अक्तूबर, 1976

टिप्पणी : (1) प्रत्येक ऋण और अपेक्षित नये ऋण की प्रत्येक प्रकार की प्रतिभूति (स्टाक प्रमाणपत्र या वचनपत्र) के लिए अलग-अलग आवेदन किया जाए।

(2) यदि आवेदक के हस्ताक्षर अंगूठे के निशान के रूप में हों तो दो व्यक्ति उसके साक्षी हों। साक्षियों के हस्ताक्षरों के नीचे उनके पूरे नाम, व्यवसाय और पते दिये जाएं।

(3) यदि आवेदन किसी पंजीकृत निकाय के नाम पर किया जाए तो निम्नलिखित दस्तावेज निवेश आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये जाएं यदि वे लोक ऋण कार्यालय में पहले ही पंजीकृत न किये गये हों :—

(i) पंजीकृत / निगमन का प्रमाणपत्र ।

(ii) निकाय / कंपनी का ज्ञापनपत्र और अंतर्नियम या नियमों और विनियमों / उप-नियमों की प्रमाणित प्रतिलिपियां ।

(iii) निकाय / कंपनी की ओर से सरकारी प्रतिभूतियों का लेन देन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति के पक्ष में किये गये संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि ।

(4) जो आवेदक स्टाक प्रमाणपत्रों के रूप में प्रतिभूतियां जारी कराना चाहते हैं, उन्हें छमाही ब्याज के प्रेषण के लिए प्रादेश फार्म (लोक ऋण कार्यालय में उपलब्ध) भी भरना चाहिए ।

---

* जो आवश्यक न हो उसे काट दिया जाए ।

† रु० 100, रु० 200, रु० 500, रु० 1,000 रु० 5,000, रु० 10,000, रु० 25,000, रु० 50,000 और रु० 1,00,000 के मूल्य वर्गों में बचनपत्र जारी किये जाएंगे । जो मूल्य वर्ग अपेक्षित हो उसका उल्लेख यहां किया जाए ।

राष्ट्रपति के आदेश से,

के० एन० राव, संयुक्त सचिव ।

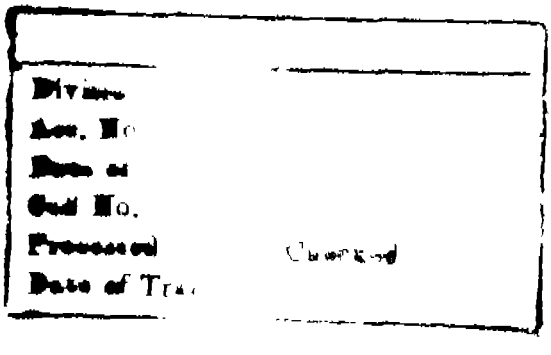

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976